भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1670
15 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी बेघर आबादी पर अद्यतन आंकड़ों का अभाव

1670 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहरी बेघर आबादी के आकलन के लिए वर्तमान में उपयोग किया जाने वाला डेटा मुख्यतः 2011 की जनगणना पर आधारित है, जबकि इसके बाद शहरीकरण के पैटर्न, पलायन और आवासीय संकट में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं;
(ख) क्या सरकार शहरी बेघर आबादी की वास्तविक संख्या एवं उनके विस्तार का पता लगाने हेतु एक नया, व्यापक, राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव रखती है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) उक्त सर्वेक्षण को शुरू करने और उसके पूर्ण होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, भूमि और कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं। इसलिए, बेघर लोगों के पुनर्वास की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की है। भारत सरकार कार्यक्रमों और योजनाबद्ध उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)' का कार्यान्वयन किया। शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच) डीएवाई-एनयूएलएम के तहत एक घटक था। एसयूएच के संचालन दिशा-निर्देशों में आश्रयों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए शहरी बेघरों को

चिह्नित करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरों/कस्बों में व्यवस्थित तृतीय पक्ष सर्वेक्षण कराने का प्रावधान किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल 2,44,329 शहरी बेघरों की पहचान की गई। डीएवाई-एनयूएलएम 30.09.2024 को समाप्त हो गया।

******